

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 40]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 20 जनवरी 2014—पौष 30, शक 1935

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 जनवरी 2014

क्र. एफ-11-2-2014-एक-9.—राज्य शासन द्वारा महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम, 2013 की धारा 5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रदेश के समस्त जिलों में अपर कलेक्टर (मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत) को इस अधिनियम के अधीन शक्तियों का प्रयोग या कृत्यों का निर्वहन करने के लिये पदेन जिला अधिकारी अधिसूचित करता है.

F. No. 11-2-2014-One-9.—In exercise of the powers conferred by Section (5) of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 the State Government hereby notifies Additional Collector (Chief Executive Officer, Zila Panchayat) as Ex-Officio District Officer, in all the Districts, to exercise powers or discharge function under this act.

बी. आर. विश्वकर्मा, उपसचिव.